न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी लूणी, जिला जोधपुर।
पीठासीन अधिकारी :– पुखराज कांसोटिया RAS
प्रार्थना पत्र सं. 35/2023

प्रार्थी :–

सरकार जरिये तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम्

अप्रार्थी :–

सुरेश सोनगरा पुत्र टीकमचंद सोनगरा जाति जीनगर सा. संजय कॉलोनी, प्रताप नगर जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

प्रार्थी की ओर से : – सरकारी पैरोकार

अप्रार्थी की ओर से :– एम.ए.खान

दिनांक 28-07-2025

–: आदेश :–

प्रार्थी तहसीलदार लूणी द्वारा अपने पत्र कमांक राजस्व/2024/165 दिनांक 05.07.2023 के द्वारा प्रकरण अर्न्तगत धारा 177 राज.काश्तकारी अधिनियम तहत इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि ग्राम लूणी के खसरा नं. 805/1 रकबा 0.8094 हैक्टेयर किस्म भूमि अप्रार्थी के खातेदारी की भूमि है। जिस भूमि का अप्रार्थी द्वारा कृषि बिना संपरिवर्तन करवाए व्यावसायिक प्रयोजन (अवैध बजरी खनन) अर्थात गैर कृषि प्रयोजन कार्य किया जाना पाया गया है जिस कारण अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि को सरकारी भूमि मे दर्ज किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी की और अधिवक्ता एम.ए. खान द्वारा वकालतनामा एवं प्रकरण में अपना जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में कथन किया कि अप्रार्थी के कृषि भूमि खसरा नं. 805/01 कुल रकबा 0.8004 हैक्टयर व 805/2 रकबा 1.6187 हैक्टयर ग्राम लुणी तहसील लुणी भूमि जिसमें अप्रार्थी ने काश्त के लिए उपरोक्त खसरों में कृषि भूमि पर तारबंदी व बाड़ करवाकर खेती करने के लिए उक्त पूरी कृषि भूमि को समतल कर खेत को खडाया था। जिसके एक माह बाद ही बंजरी माफियों द्वारा हमारी तारबंदी को तोड़कर हटा दिया और हमारे उक्त कृषि भूमि से अवैध बजरी का खनन करना चालु कर दिया गया। उक्त बंजरी माफियों द्वारा हमारी आधा बीघा कृषि भूमि जो लुणी नदी के चिपते है, को खुर्द–बुर्द कर हमारी कृषि भूमि पर अवैध खनन किया जा रहा है। अप्रार्थी ने उक्त अवैध खनन को रोकने के लिए दिनांक 23.10.2024 को पुलिस थाना अधिकारी लुणी एवं पुलिस

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

उपायुक्त पुलिस कमिश्नर एवं दिनांक 04.10.2024 को श्रीमान् जिला कलक्टर जोधपुर व अधीक्षण अभियंता खनन विभाग जोधपुर को भी अवैध खनन करने वालो के खिलाफ शिकायत की थी. मगर आजतक अवैध खनन को रूकवाने की कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गयी। श्रीमान तहसीलदार ने अवैध बजरी खनन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने के बजाय एक पीड़ित काश्तकार को बेदखल करने के लिए कार्यवाही खोली गयी है। श्रीमान तहसीलदार साहब ने अवैध खनन की कार्यवाही किये बगैर ही काश्तकार के उक्त अवैध खनन में लिप्त होने के संबंध में कोई पत्रावली पर साक्ष्य पेश नही किया है। काश्तकार एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति तथा अवैध खनन के संसाधनों में सक्षम नहीं है। अतः अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश कर अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 177 की कार्यवाही को निरस्त करवाने का निवेदन किया है।

हमने बहस उभय पक्षकारान् सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, जवाब एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात् एवं लिखित बहस का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस मे कहा गया कि अप्रार्थी द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है जिस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। जबकि अप्रार्थी की ओर से इसका खण्डन करते हुए स्वयं द्वारा किसी प्रकार का अवेध खनन नही करने एवं भू माफिया एवं बजरी माफिया द्वारा अवैध रूप से अप्रार्थी की भूमि पर खनन करने के कारण उसमे अप्रार्थी का किसी प्रकार दोषी नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। हमने अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का निरीक्षण किया जिसमे अप्रार्थी द्वारा स्वयं विभिन्न सरकारी महकमो एवं पुलिस थाना तथा श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर को इस संबंध मे प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है कि उसकी भूमि पर भू माफिया एवं बजरी माफिया के व्यक्तियो द्वारा उसकी अनुपस्थिति मे अवैध खनन किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट भी अप्रार्थी की अनुपस्थिति मे बनायी गयी है जिससे यह सिद्ध नही हो रहा है अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई अवैध खनन किया गया हो। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी यह साबित करने मे पूर्णतः असफल रहे है कि अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि अप्रार्थी स्वयं द्वारा किसी प्रकार का कोई खनन कार्य किया जा रहा हो। किसी अन्य भू माफिया एवं बजरी माफिया के व्यक्तियो द्वारा किये गये किसी भी अवैध कृत्य हेतु अप्रार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई विपरीत कार्यवाही की जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विरूद्ध होगी और ऐसी किसी भी कार्यवाही से अप्रार्थी को उसके द्वारा किसी प्रकार का अवैध कार्य नही किये जाने के बावजूद उसके मूलभूत अधिकारो का हनन नही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध निराधार होने के कारण निरस्त किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(पुखराज कासौटिया आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी